जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./14/डी– 54 दिनांकः– 21.1.15

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **113वीं बैठक दिनांकः 15.01.15 को अपराह्न 12.30** बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		113:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 112वीं बैठक दिनांक 02.12.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 103वीं से 112वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 112वीं बैठक दिनांक 02.12.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 103 से 112 की पालना की समीक्षा के दौरान जिन प्रकरणो में पालना अवशेष है, उनके संबंध में आयुक्त महोदय ने अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) को अपने स्तर पर समीक्षा कर पालना कराने के निर्देश दिये। दिनांक 27.01.15 तक पत्रावली पर अवशेष पालना रिपोर्ट की स्थिति से आयुक्त महोदय को अवगत कराया जावे।
2.	12	113:2	मुख्य अभियंता (जल एवं स्वास्थ्य) विभाग, जयपुर को जविप्रा की संकल्प नगर योजना ग्राम सांझरिया में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 40 x 60 = 2400 व.मी. भूमि आरक्षित करने हेतु।	अधिशाषी अभियंता (पीएचई–तृतीय), जविप्रा, जयपुर ने संकल्प नगर योजना ग्राम सांझरिया में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 40 X 60 = 2400 व.मी. भूमि आरक्षित करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार 2400 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
3.	12	113:3	मुख्य अभियंता (जल एवं स्वास्थ्य) विभाग, जयपुर को जविप्रा की शौर्य नगर योजना ग्राम हिम्मतपुरा में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 40 x 60 = 2400 व.मी. भूमि आरक्षित करने हेतु।	अधिशाषी अभियंता (पीएचई–तृतीय), जविप्रा, जयपुर ने शौर्य नगर योजना ग्राम हिम्मतपुरा में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 40 X 60 = 2400 व.मी. भूमि आरक्षित करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार 2400 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
4.	12	113:4	मुख्य अभियंता (जल एवं स्वास्थ्य) विभाग, जयपुर को अजमेर रोड एवं सीकर रोड के मध्य स्थित क्षेत्र (मय पृथ्वीराज नगर योजना उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र) की जलापूर्ति हेतु रिक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु जविप्रा की शौर्य नगर योजना ग्राम हिम्मतपुरा में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 30 x 30 का एक स्थल के लिये भूमि आवंटन करने हेतु।	मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा अजमेर रोड एवं सीकर रोड के मध्य स्थित क्षेत्र (मय पृथ्वीराज नगर योजना उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र) की जलापूर्ति हेतु रिक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 30 X 30 के स्थल के लिये भूमि आरक्षित करने हेतु लिखा है। उक्तानुसार जोन–12 में जविप्रा की शौर्य नगर योजना ग्राम हिम्मतपुरा में 30 X 30 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
5.	13	113:5	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय एवं परिवहन कार्यालय, चौमू हेतु पूर्व भूमि आवंटन में संशोधन बाबत।	आर.टी.ओ. व डी.टी.ओ. कार्यालयों, चौमू हेतु एलपीसी की 92वीं बैठक दिनांक 11.01.13 ग्राम चौमू के खसरा नं. 3156 से 3162 एवं 3166 की कुल भूमि 10.67 हैक्टेयर पर सृजित वातावरण मैयत्री आवासीय (फॉर्म हाउस योजना) में से 3–3 बीघा भूमि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (उत्तर) व जिला परिवहन कार्यालय, चौमू को निशुल्क आवंटन करने हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा निशुल्क

SA/R 2788
23/1

				आवंटन की स्वीकृति दिनांक 03.05.13 को प्राप्त हो चुकी है। उपायुक्त द्वारा मौका सत्यापन के दौरान खसरा नं. 3156 से 3162 एवं 3166 के साथ साथ जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 3170, 3171/2, 3175, 3185 एवं 3186 की भूमि भी उक्त कार्यालयों को आवंटित भूमि में सम्मिलित होना पाया गया। अतः उक्त खसरा नम्बरों को भी एलपीसी के निर्णय में शामिल करने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी के पूर्व निर्णय में खसरा नं. 3156 से 3162 एवं 3166 के साथ साथ जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 3170, 3171/2, 3175, 3185 एवं 3186 को भी सम्मिलित कर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
6.	13	113:6	राजस्व ग्राम चाँदावास, तहसील आमेर के खसरा नं. 855 रकबा 15.97 हैक्टेयर किस्म चरागाह जविप्रा स्वामित्व की भूमि में से 0. 25 हैक्टेयर भूमि ग्राम चाँदावास के श्मशान हेतु आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 के प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम चाँदावास, तहसील आमेर के खसरा नं. 855 रकबा 15. 97 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। भूमि का आरक्षण इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
7.	13	113:7	राजस्व ग्राम चाँदावास, तहसील आमेर के खसरा नं. 11 रकबा 2. 51 हैक्टेयर किस्म चरागाह जविप्रा स्वामित्व की भूमि में से 2.26 हैक्टेयर भूमि ग्राम चाँदावास के कब्रिस्तान हेतु आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 के प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम चाँदावास, तहसील आमेर के खसरा नं. 11 रकबा 2.51 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 1 हैक्टेयर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। भूमि का आरक्षण इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
8.	13ए	113:8	श्री अनिल कुमार बंसल को भूखण्ड संख्या सी–268 कल्पना नगर योजना में आवंटित भूमि से अधिक भूमि मौके पर उपलब्ध अधिक भूमि 22.50 वर्गमीटर आवंटन बाबत।	श्री अनिल कुमार बंसल को भूखण्ड संख्या सी–268 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर कल्पना नगर योजना में आवंटित किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 22.50 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है, जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर अतिरिक्त भूमि 22.50 वर्गमीटर को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के रूप में वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	13ए	113:9	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मंगेज सिंह, अर्जुन पुरस्कार विजेता को राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मंगेज सिंह ने वर्ष 1988 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के फलस्वरूप राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के तहत राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा राजभवन आवासीय योजना में 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा आवेदक को राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध नॉन कॉर्नर 220 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
10.	13ए	113:10	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पात्र 8 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन करने	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार निम्नांकित 8 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को

			बाबत।	200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा समस्त रिक्त नॉन कार्नर भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा निम्न आवेदकों में से प्रत्येक को एक भूखण्ड आवंटन किया जावे:– 1. श्री पारस चन्द जैन 2. श्री दिनेश सिंह शेखावत 3. श्री सुरेन्द्र सिंह सिकरवार 4. श्री बाबूलाल टेलर 5. श्री साँवर मल चतुर्वेदी 6. श्रीमती रेणु तिवारी 7. श्री सत्यनारायण कच्छावा 8. श्री कांतिलाल जोशी
11.	14	113:11	मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को जविप्रा की विप्र विहार योजना के सुविधा क्षेत्र में पानी की टंकी हेतु भूमि का आवंटन करने बाबत।	मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वा0 अभि0 वि0, राजस्थान, जयपुर द्वारा जविप्रा की विप्र विहार योजना में 30 X 30 मीटर भूमि का आवंटन पानी की टंकी हेतु चाहा है। उपायुक्त जोन–14 द्वारा योजना के सुविधा क्षेत्र की भूमि में से 30 X 30 मीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वा0 अभि0 वि0, राजस्थान, जयपुर को पानी की टंकी बनाने हेतु 30 X 30 वर्गमीटर अर्थात 900 वर्गमीटर भूमि विप्र विहार योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
12.	15	113:12	जविप्रा की आवासीय योजना बालमुकुंदपुरा के आवंटी श्री हेमेन्द्र गोयल पुत्र श्री सुशील कुमार गोयल को भूखण्ड संख्या ए–167–ए क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर के स्थान पर नवसृजित भूखण्ड संख्या सी–64 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर आवंटन किये जाने के संबंध में।	श्री हेमेन्द्र गोयल पुत्र श्री सुशील कुमार गोयल को दिनांक 01.03.04 को जविप्रा की बालमुकुंदपुरा योजना में भूखण्ड संख्या सी–66 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। योजना में संशोधन के उपरान्त दिनांक 17.08.04 को आयोजित लॉटरी में आवेदक को ए–167–ए क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर आवंटन किया गया। कब्जा देते समय भूखण्ड संख्या ए–167–ए उपलब्ध नहीं पाया गया। अतः पी.डब्ल्यू.सी की बैठक दिनांक 21.06.13 में नये भूखण्ड सृजित किये जाने के पश्चात भूखण्ड संख्या सी–64 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर के विनिमय हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री हेमेन्द्र गोयल को बालमुकुन्दपुरा आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए–167–ए क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या सी–64 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
13.	18	113:13	पृथ्वीराज नगर दक्षिण में स्थित जविप्रा की योजना शिव विहार के भूखण्ड संख्या एफ–2 क्षेत्रफल 1018.93 वर्गमीटर का आवंटन जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में पेयजल सुविधा हेतु आवंटित किये जाने के संबध में।	उपायुक्त जोन–18 द्वारा पृथ्वीराज नगर दक्षिण में स्थित जविप्रा की योजना शिव विहार के भूखण्ड संख्या एफ–2 क्षेत्रफल 1018.93 वर्गमीटर का आवंटन जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में पेयजल सुविधा हेतु आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल सुविधा हेतु शिव विहार योजना के भूखण्ड संख्या एफ–2 क्षेत्रफल 1018.93 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
14.	12बी	113:14	ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर के खसरा नं. 820 रकबा 0.	उपायुक्त जोन–12बी द्वारा ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर के खसरा नं. 820 रकबा 0.57 हैक्टेयर

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
...र विकास प्राधिकरण, ...

			57 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि नव सृजित उप तहसील रामपुरा डाबडी आमेर हेतु आवंटन बाबत।	में से 1000 वर्गमीटर भूमि नव सृजित उप तहसील रामपुरा डाबडी तहसील आमेर को आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उप तहसील रामपुरा डाबडी हेतु 0.57 हैक्टेयर भूमि का आवंटन चाहा है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर भविष्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये ग्राम रामपुरा डाबडी के खसरा नं. 820 रकबा 0.57 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
15.	13ए	113:15	श्रीमति मिश्री देवी पत्नी नायब सुबेदार/ऑनरेरी स्व. श्री रामसिंह, वीर चक्र को राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्रीमती मिश्री देवी ने स्व. श्री रामसिंह नायब सुबेदार की विधवा होने के कारण राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के तहत 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। नायब सुबेदार स्व. श्री रामसिंह को वर्ष 1972 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्रीमती मिश्री देवी द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया है। उपायुक्त द्वारा राजभवन आवासीय योजना में 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा श्रीमती मिश्री देवी को राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध नॉन कॉर्नर 220 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

निम्नानुसार टेबल एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

16.	8	113:15(1)	ई.पी. के सामने 200 फीट रोड निर्माण में आ रही दुकान संख्या 52, 53 व 54 (प्रत्येक 50 वर्गगज) कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज को पुर्नवास के रूप में दुकान के बदले दुकान देने बाबत।	ई.पी. के सामने 200'00" रोड बनाते समय श्री जगदीश शर्मा की हटाई गई तीन दुकानों के संबंध में प्री–एलपीसी बैठक दिनांक 07.02.14 को पैरा 785–786/एन पर लिय गये निर्णय पर दिनांक 21.04.14 की प्री–एलपीसी बैठक में पुनर्विचार किया जाकर सुखपुरिया ग्राम में 1 दुकान क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर के आवंटन की लीजडीड जारी करने की जानकारी प्राप्त करने व जोन–8 में स्थित निजी खातेदारी योजनाओं के सेक्टर रोड पर व्यावसायिक भूखण्डों की उपलब्धता की रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–8 की रिपोर्ट पैरा 845/एन के अनुसार दुकान संख्या 38 क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर की लीजडीड दिनांक 30.09.14 को जारी कर दी गई है। पैरा 860/एन के अनुसार भास्कर एनक्लेव–प्रथम में सैक्टर कॉमर्शियल के भूखण्ड संख्या बी–49 व बी–50 प्रत्येक क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज रिक्त होना बताया है। श्री जगदीश शर्मा को एलपीसी की बैठक दिनांक 21.10.11 में जोन–8 के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी की योजनाओं में सैक्टर रोड पर स्थित व्यावसायिक भूखण्ड 138.88 वर्गगज का आवंटन वाणिज्यिक दर पर करने का निर्णय लिया गया है। प्रार्थी को कुल 150 वर्गगज भूमि आवंटन की जानी है। जिसमें से 13.50 वर्गमीटर (16.14 वर्गगज) भूमि राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात आवंटन की जा चुकी है। अब 133.86 वर्गगज भूमि आवंटन की जानी शेष है। भास्कर एनक्लेव में 138.88 वर्गगज का भूखण्ड रिक्त है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भास्कर एनक्लेव–प्रथम के भूखण्ड संख्या

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				बी–49 व बी–50 में से कोई एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
17.	5	113:15(2)	श्री अर्जुन राज व्यास पुत्र श्री इन्द्रराज व्यास को खसरा नं. 392 व 392/497 ग्राम गोपालपुरा तहसील सांगानेर के पूर्व नियमित भूखण्ड के आस–पास स्थित ग्राम गोपालपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 386 की 193.18 व.मी., ख.नं. 388 की 301.56 व.मी., ख.नं. 391 की 313.44 व.मी. व ख.नं. 394 की 65.84 व.मी. कुल क्षेत्रफल 874.02 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत।	श्री अर्जुन राज व्यास पुत्र श्री इन्द्रराज व्यास द्वारा ग्राम गोपालपुरा तहसील सांगानेर के पूर्व नियमित भूमि खसरा नं. 392, 392/497 के आस–पास स्थित जविप्रा स्वामित्व की खसरा नं. 386 की 193.18 वर्गमीटर, 388 की 301.56 वर्गमीटर, 391 की 313.44 वर्गमीटर, 394 की 65.84 वर्गमीटर कुल 874.02 वर्गमीटर भूमि आवंटन का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–5 के अनुसार आवेदित भूमि का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का उक्त भूमि पर सन् 1972 से कब्जा है तथा पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। अपीलीय अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के रेफरेन्स संख्या 253/13 की पालना में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर समिति की राय को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदक को उक्त जविप्रा स्वामित्व की 874.02 वर्गमीटर भूमि आवासीय डीएलसी दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि की आवासीय डीएलसी दर 14940/– प्रति वर्गमीटर है।
18.	12ए	113:15(3)	मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. सरकार, जयपुर द्वारा अजमेर रोड एवं सीकर रोड के मध्य स्थित क्षेत्र (मय पृथ्वीराज नगर योजना उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र) की जलापूर्ति हेतु रिक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु जविप्रा की बिन्दायका ई.डब्ल्यू. एस. योजना में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 30 X 30 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने बाबत।	मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. सरकार, जयपुर द्वारा अजमेर रोड एवं सीकर रोड के मध्य स्थित क्षेत्र (मय पृथ्वीराज नगर योजना उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र) की जलापूर्ति हेतु रिक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु जविप्रा की बिन्दायका ई.डब्ल्यू.एस. योजना में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 30 X 30 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने हेतु लिखा है। उपायुक्त जोन–12ए द्वारा उक्तानुसार एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा की बिन्दायका ई.डब्ल्यू.एस. योजना में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 30 X 30 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
19.	2	113:15(4)	श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को आवंटित भूखण्ड संख्या पी–10, सैक्टर नं. 2, विद्याधर नगर, जयपुर से लगती हुई 10 X 15 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) को आवंटित करने बाबत।	श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को आवंटित भूखण्ड संख्या पी–10, सैक्टर सेक्ट 2, विद्याधर नगर, जयपुर से लगती हुई 10 X 15 मीटर = 150 वर्गमीटर भूमि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के रूप में प्रचलित आरक्षित दर डीएलसी+10 प्रतिशत पर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
20.	13	113:15(5)	जयपुर जिले के तहसील आमेर ब्लॉक्स में राजस्व ग्राम गुणावता, तहसील आमेर में मॉडल स्कूल की स्थापना हेतु 1.21 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत।	अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर ने पंचायत समिति आमेर ब्लॉक में मॉडल स्कूल स्थापित करने हेतु ग्राम गुणावता में भूमि आवंटन का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–13 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर ग्राम गुणावता, तहसील आमेर के खसरा नं. 684 रकबा 0.86 हैक्टेयर, 685 रकबा 0.07

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				हैक्टेयर एवं 686 रकबा 0.28 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मॉडल स्कूल हेतु ग्राम गुणावता, तहसील आमेर के खसरा नं. 684 रकबा 0.86 हैक्टेयर, 685 रकबा 0.07 हैक्टेयर एवं 686 रकबा 0.28 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर 3500/- रूपये प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
21.	13	113:15(6)	जे.डी.ए. क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र चौमू में प्रहराधिकारी व आबकारी निरोधक दल, चौमू व आबकारी थाना चौमू में कार्यालय हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, चौमू द्वारा आबकारी थाने के लिए लाईन, मालखाना व प्रहराधिकारी कार्यालय के लिए भवन निर्माण हेतु 2 बीघा भूमि आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी, चौमू को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो उपायुक्त जोन-13 को प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा जविप्रा की भूमि पर सृजित ईको-फ्रेण्डली योजना चौमू में आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 11750 वर्गमीटर में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, चौमू को आबकारी थाने के लिए लाईन, मालखाना व प्रहराधिकारी कार्यालय के लिए भवन निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
22.	5	113:15(7)	श्रीमती कमला देवी सैनी पत्नी श्री रामचन्द सैनी के भूखण्ड संख्या सी-59 क्षेत्रफल 444.44 वर्गगज, राधा विहार कॉलोनी में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 63.84 वर्गगज भूमि के आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-5 ने श्रीमति कमला देवी सैनी के राधा विहार कॉलोनी के भूखण्ड संख्या सी-59 क्षेत्रफल 444.44 वर्गगज में बढा हुआ क्षेत्रफल 63.84 वर्गगज को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के रूप में आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। आवेदित भूमि का कोई स्वतंत्र उपयोग न होना एजेण्डा नोट में वर्णित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत स्ट्रीप ऑफ लेण्ड की 63.84 वर्गगज भूमि को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
23.	11	113:15(8)	जयपुर जिले के तहसील सांगानेर ब्लॉक्स में ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला, तहसील सांगानेर में मॉडल स्कूल की स्थापना हेतु 2.50 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत।	अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ने पंचायत समिति सांगानेर ब्लॉक में मॉडल स्कूल स्थापित करने हेतु ग्राम तेजावाला में भूमि आवंटन का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन-11 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला के खसरा नं. 592 में 2.50 हैक्टेयर भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित भूमि के मध्य 18 मीटर चौडी सैक्टर रोड निकल रही है। अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ने 18 मीटर चौडी सैक्टर रोड छोडते हुये दो भागों में विभक्त भूमि को आवंटन की सहमति दी है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला के खसरा नं. 592 में रकबा 2.50 हैक्टेयर भूमि (18 मीटर चौडी सैक्टर रोड छोडते हुये) संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
24.	13ए	113:15(9)	श्रीमती कानी देवी को भूखण्ड संख्या 74 क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर हरचन्दपुरा डेयरी योजना के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन	हरचन्दपुरा डेयरी योजना में श्रीमति कानी देवी को भूखण्ड संख्या 74 क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। एलपीसी की बैठक दिनांक 31.01.07 के निर्णयानुसार 202.50 वर्गमीटर के भूखण्ड रिक्त न

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.)

			किये जाने के संबंध में।	होने के कारण 270 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन का निर्णय लिया गया। किन्तु उक्त भूखण्ड वन विभाग की भूमि से प्रभावित होने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका। अब उपायुक्त जोन–13ए द्वारा श्रीमती कानी देवी की मृत्यु दिनांक 01.01.11 हो जाने व कानी देवी की वसीयत के अनुसार श्री सिद्धार्थ सैनी पुत्र श्री गणेश बाबू सैनी को हरचन्दुपरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या 12, 79 व 82 क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर के रिक्त होना बताकर उक्त में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री सिद्धार्थ सैनी को भूखण्ड संख्या 74 के बदले नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 12, 79 व 82 क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
25.	6	113:15(10)	श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी विहार–25 विस्तार में जे.वी.वी.एन.एल. हेतु आरक्षित 400 व.मी. भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त के प्रस्तावानुसार श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी विहार–25 विस्तार में जे.वी.वी.एन.एल. हेतु आरक्षित 400 व.मी. भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
26.	9	113:15(11)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम रामचन्द्रपुरा की संस्थानिक योजना में 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त के प्रस्तावानुसार जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम रामचन्द्रपुरा की संस्थानिक योजना में 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु 500 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
27.	17	113:15(12)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जविप्रा की गिरधारीपुरा ब्लॉक में हैडवर्क्स, उच्च क्षमता जलाशय, सीडब्ल्यूआर स्टोरेज निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. सरकार, जयपुर द्वारा अजमेर रोड एवं सीकर रोड के मध्य स्थित क्षेत्र (मय पृथ्वीराज नगर योजना उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र) की जलापूर्ति हेतु रिक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स, उच्च क्षमता जलाशय, सीडब्ल्यूआर स्टोरेज निर्माण हेतु 30 X 30 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने हेतु लिखा है। उपायुक्त जोन–17 द्वारा जविप्रा की अनुमोदित योजना गिरधारीपुरा ब्लॉक 'बी' में मंदिर के पास 9 मीटर चौड़ी सडक पर 546.60 वर्गमीटर एवं 179.22 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र होना अंकित कर एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त दोनों सुविधा क्षेत्र की भूमि को संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
28.	15	113:15(13)	निजी खातेदारी योजना ओमेक्स सिटी में अवस्थित जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि के आवंटन के संबंध में।	निजी खातेदारी की आवासीय योजना ओमेक्स सिटी में अफोर्डेबल हाउसिंग हेतु आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के भूखण्डों को रिलीज किये जाने हेतु निजी खातेदार के आवेदन पर बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 27.08.14 में योजना क्षेत्र में अवस्थित जविप्रा की भूमि के संबंध में एलपीसी की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त द्वारा ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 380 रकबा 2.27 हैक्टेयर में से 360 वर्गमीटर क्षेत्रफल अनुमोदित योजना में सम्मिलित होने से निजी विकासकर्त्ता को उतना क्षेत्रफल जविप्रा को समर्पित करने अथवा नियमानुसार कीमत वसूल कर आवंटन करने हेतु प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार

प्रति० उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				विमर्श कर खसरा नं. 380 में से 360 वर्गमीटर भूमि योजना की आवासीय आरक्षित दर 8000/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
29.	14ए	113:15(14)	औद्योगिक क्षेत्र प्रहलादपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की 1.50 हैक्टेयर भूमि रीको के पक्ष मे औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित करने के संबंध में।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किया गया।
30.	13ए	113:15(15)	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक डॉ0 भरत सिंह ओला को आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक डॉ0 भरत सिंह ओला को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के तहत पीताम्बरा आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक नॉन कॉर्नर 200 वर्गमीटर का भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
31.	13ए	113:15(16)	ठाकुर मानसिंह पुत्र स्व. श्री ठाकुर मोहन सिंह निवासी ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर को निजी खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम कानोता, तहसील बस्सी के खसरा नं. 49/1 रकबा 54.02 बीघा एवं 49.2 रकबा 1.01 बीघा भूमि किता 2 कुल रकबा 55.03 बीघा भूमि अर्थात 166290.99 वर्गगज भूमि के सुविधा क्षेत्र की 16797.53 वर्गगज भूमि आवंटन करने बाबत।	ठाकुर मानसिंह पुत्र स्व. श्री ठाकुर मोहन सिंह निवासी ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर द्वारा उपायुक्त जोन–13ए को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम कानोता, तहसील बस्सी के खसरा नं. 49/1 रकबा 54.02 बीघा एवं 49.2 रकबा 1.01 बीघा भूमि किता 2 कुल रकबा 55.03 बीघा भूमि अर्थात 166290.99 वर्गगज भूमि पर दिनांक 22.05.14 को अनुमोदित आवासीय योजना की भूमि में से 10.20 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के रूप में निःशुल्क छुडवायी गई 16797.53 वर्गगज भूमि आवंटन करने हेतु अनुरोध किया है। आवेदक द्वारा सुविधा क्षेत्र की 16797.53 वर्गगज भूमि में से निजी खातेदार आवेदक ठाकुर मानसिंह को 12705.70 वर्गगज भूमि का शिक्षण संस्थान हेतु व शेष 4091.83 वर्गगज भूमि को (पार्किंग, एस.टी.पी. प्लान्ट, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन एवं प्रार्थना कक्ष) हेतु आवंटन चाहा है। उक्तानुसार उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत प्रस्तावानुसार ग्राम कानोता/योजना की आवासीय आरक्षित दर जो भी अधिक हो, पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
32.	14	113:15(17)	श्री राजेन्द्र पारीक पुत्र श्री रामनिवास पारीक को रोहिणी नगर द्वितीय आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–796 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा श्री राजेन्द्र पारीक पुत्र श्री रामनिवास पारीक को रोहिणी नगर द्वितीय आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–796 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण विनिमय में भूखण्ड संख्या बी–673, 815, 917, 668, 151, 157, 314, 557 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय हेतु प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री राजेन्द्र पारीक को भूखण्ड संख्या ए–796 के स्थान पर नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी–673, 815, 917, 668, 151, 157, 314, 557 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
33.	15	113:15(18)	श्री रामलाल पुत्र श्री गंगाबक्श को ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या 43 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर के बढे हुये क्षेत्रफल को आवंटन	श्री रामलाल पुत्र श्री गंगाबक्श को ग्राम भम्भोरिया तहसील सांगानेर की सेज में आई भूमि के बदले कमांक 9958 दिनांक 09.12.09 से ग्राम झांई में आवासीय भूखण्ड संख्या 43 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		बाबत।	आवंटन किया गया था। मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 68.75 वर्गमीटर है। प्रकरण में आवंटी को सेज में आई भूमि के बदले 73 वर्गमीटर आवासीय एवं 18 वर्गमीटर व्यावसायिक भूमि का आवंटन किया जाना था। उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या 43 में शेष रही 23 वर्गमीटर भूमि की आरक्षित दर से गणना कर आवंटी से लेय राशियों में समायोजन कर राशि 63899/– रूपये का चैक बनाया जा चुका है। अब उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड में मौके पर बढे हुये क्षेत्रफल 18.75 वर्गमीटर का आवंटन आवंटी की शेष रही 23 वर्गमीटर भूमि में से किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदक की शेष रही भूमि के एवज में मौके पर उपलब्ध 18.75 वर्गमीटर भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया। शेष 4.25 व.मी. का नियमानुसार मुआवजा दिया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियान्त्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्कैन करने के लिये।
17. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 113वीं बैठक दिनांक 15.01.15 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
5.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री बृजेश कुमार शर्मा, विशेषाधिकारी (आर एम)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री सतीश गोयल, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
9.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
11.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
12.	श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
13.	श्री भंवर सिंह, तहसीलदार जोन–15	विशेष आमंत्रित
14.	श्री हरि सिंह गौड, तहसीलदार जोन–18	विशेष आमंत्रित
15.	श्रीमती ऊषा जैन, सेवानिवृत (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित